

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 189] No. 189] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2018/ वैशाख 31, 1940

NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2018/VAISAKHA 31, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

सं.भा.आ.प.-34(41)/2018-मेड./109835.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुन: संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

- 1. (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018" कहा जाएगा।
 - (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में 5क (3) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:-
 - "5 क (4) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए सामूहिक काउंसिलिंग में सीट ब्लॉकिंग रोकने और काउंसिलिंग के दौरान नया विकल्प चुनने की अनुमेयता की दृष्टि से, शुल्क की जब्ती, "परिशिष्ट च" में दिए गए मापदंडों के अनुसार होगी।"
- 3. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" के, परिशिष्ट च में, शैक्षिक वर्ष 2018-19 के लिए और उसके पश्चात, प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु दाखिला प्रक्रिया की पूर्णता की समय अनुसूची के नीचे निम्नलिखित "टिप्पणी" जोड़ी जाएगी:-

टिप्पणी

1. वर्तमान दाखिला वर्ष के कार्य आरंभ की अंतिम तारीख अर्थात 22 जुलाई के पश्चात खाली रही अखिल भारतीय कोटा सीटें (15%), राज्य कोटे में परिवर्तित मानी जाएंगी।

2797 GI/2018 (1)

- 2. 31 मई के पश्चात अनुमित प्राप्त संस्थान/कालेज/पाठ्यक्रमों पर, चालू शैक्षिक वर्ष के लिए दाखिले/सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- 3. किसी भी परिस्थिति में, दाखिले/कार्य आरंभ की अंतिम तारीख, 31 अगस्त के पश्चात नहीं बढ़ाई जाएगी।
- 4. उपर्युक्त समय अनूसूची का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए, शनिवार, रविवार या अवकाशों, (15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कारण राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर) को कार्य दिवस माना जाएगा।

5. काउंसिलिंग के दौरान नया विकल्प चुनने के लिए छात्रों को अनुमेयता के संबंध में निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे:-

	o. Monthly refer to the reference of the							
क्रम.सं.	चक्र	नि:शुल्क	शुल्क की जब्ती के साथ	आगे परामर्श के लिए	पंजीकरण शुल्क की			
		निर्गमन	निर्गमन	अयोग्य	धनराशि			
1	ए.आई.क्यू.l/ मानित							
2.	ए.आई.क्यू.II/मानित		यदि कार्य आंरभ नहीं किया	यदि कार्य आंरभ कर दिया	सरकारी-10,000/- रु. (अ.जा./अ.ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) मानित 2,00,000/- रुपये			
3.	राज्य कोटा I							
4.	राज्य कोटा ॥		यदि कार्य आंरभ नहीं किया	यदि कार्य आंरभ कर दिया	सरकारी-10,000/- रु. (अ.जा./अ.ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) प्राइवेट 1,00,000/- रुपये			
5.	राज्य कोटा मोप-अप			यदि कार्य आंरभ कर दिया				
6.	मानित मोप-अप			यदि कार्य आंरभ कर दिया				

6. भा. आ.प. विनियमों के अनुसार, डीजीएचएस काउंसिलिंग में अखिल भारतीय कोटा सीटें केन्द्रीय संस्थानों और मानित विश्वविद्यालय शामिल होंगे। राज्य/संघशासित क्षेत्र काउंसिलिंग में राज्य कोटा सीटें और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के सभी निजी कालेज शामिल होंगे।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी) [विज्ञापन-III/4/असा./66/18-19]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामत: "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" दिनांक 4 मार्च, 1997 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018 और 06.02.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2018

No.MCI-34(41)/2018-Med./109835.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government,

hereby makes the following Regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely: -

- 1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2018.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", following clause shall be added after 5A(3):-
 - 5A(4) In order to prevent seat blocking in common counseling for admission to MBBS course and permissibility to exercise fresh choice during counseling, forfeiture of fee shall be in accordance with the Matrix contained in "Appendix F".
- 3. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", in Appendix 'F' the following "Note" **shall be added below the** Time Schedule for completion of the admission process for first MBBS course for the academic year 2018-19 and onwards: -

Note:

- 1. All India Quota Seats (15%) remaining vacant after last date for joining, i.e. 22^{nd} July of the present Admission year will be deemed to be converted into State quota.
- 2. Institute/college/courses permitted after 31st May will not be considered for admission/ allotment of seats for current academic year.
- 3. In any circumstances, last date for admission/joining will not be extended after 31st August.
- 4. For the purpose of ensuring faithful obedience to the above time-schedule, Saturday, Sunday or Holidays (except National Holiday on account of Independence Day, 15th August) shall be treated as working days.
- 5. The following Matrix shall be applicable with regard to permissibility to students to exercise fresh choice during counseling:-

S.No.	Round	Free Exit	Exit with forfeiture of fees	Ineligible for further counseling	Amount of registration fee
1.	AIQ I/Deemed				
2.	AIQ II/ Deemed		If not Joined	If joined	Government - Rs. 10,000 (half for SC/ST/OBC) Deemed - Rs. 2,00,000
3.	State Quota I				
4.	State Quota II		If not joined	If joined	Government - Rs. 10,000 (half for SC/ST/OBC) Private - Rs. 1,00,000
5.	State Quota Mop- up			If joined	
6.	Deemed Mop-Up			If joined	

6. As per MCI regulations, DGHS counseling would include AIQ seats, Central Institutions and Deemed Universities. State/UT counseling would include State Quota seats and all private colleges in the States/UTs.

DR. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)

[ADVT-III/4/Exty./66/18-19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018 & 06/02/2018.